

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

का0आ0सं0-भवन/भू-सम्पदा-01-आवास(राजपत्रित)-01/2026- 89

पटना, दिनांक- 18/6/26

‘कार्यालय आदेश’

राजपत्रित आवास आवंटन समिति द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में पूर्वादेश को विखंडित करते हुए निम्नांकित पदाधिकारी को पटना केन्द्रीय पूल से नियमानुसार आदेय किराया एवं करों के भुगतान की शर्त पर आवास आवंटित किया जाता है :-

क्र०	नाम/पदनाम	विभाग/कार्यालय	आवंटित आवास
1.	श्री कालिका सिंह (I.R.S.), आयकर महानिदेशक (अन्वे०), बिहार एवं झारखण्ड	कार्यालय आयकर महानिदेशक(अन्वे०), आयकर विभाग	A3/25, 96 सेट, ऑफिसर्स आवास, नेहरू पथ

- सरकारी आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली, 1986 के नियम-10 के अधीन आवंटी पदाधिकारी से अनुरोध है कि पत्र प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे कि उन्हें आवंटित आवास स्वीकार है अथवा नहीं। उक्त अवधि में आवंटी पदाधिकारी से कोई सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उनका आवंटन स्वतः रद्द समझा जायेगा।
- नये आवंटी पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, पाटलिपुत्र भवन प्रमण्डल से सम्पर्क स्थापित कर आवंटित आवास का प्रभार लेकर उसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को देंगे।
- केन्द्रीय सेवा के पदाधिकारियों को मकान किराया भत्ता (HRA) की राशि एवं निर्धारित मानक किराया राज्य सरकार के समेकित निधि में जमा करने की शर्त पर ही आवास आवंटित किया जाता है।

अतः आवास अधिग्रहण की तिथि से मकान किराया भत्ता (HRA) की राशि एवं निर्धारित मानक किराया की राशि **Executive Engineer, Rent Division, BCD** के **Bank Account No-924020057053795, IFSC Code-UTIB0002619, Branch Name- Axis Bank Limited, Patliputra** में बैंक ड्राफ्ट/अन्य माध्यम से प्रतिमाह 15 तारीख से पूर्व जमा की जाए। इस प्रकार आवंटी द्वारा उपर्युक्त वर्णित खाता में प्रतिमाह देय राशि निम्नवत होगी :-

क्र०	आवास का टाईप	पटना में अनुमान्य HRA की राशि	मानक किराया	प्रति आवास कुल मासिक कटौती
1.	96 सेट, नेहरू पथ	मूल वेतन का 20 प्रतिशत	₹856	पटना में अनुमान्य HRA (मूल वेतन का 20% राशि) + ₹856

- पटना से बाहर स्थानांतरण के उपरांत आवास दखल में रखने की अनुमान्य अवधि मात्र 1 (एक) माह है। उक्त अवधि के पश्चात मानक किराया का 30 गुना प्रति माह की दर से दण्ड किराया एवं मासिक मेंटेनेंस चार्ज वसूल किया जायेगा तथा निष्कासन की भी कार्रवाई की जायेगी।
- सरकारी आवास संबंधी किसी भी विषय, विवाद या अनियमितता को आवास आवंटन नियमावली, 1986 के नियमों के अनुरूप निस्तारित किया जाएगा।
- प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/

(शिव रंजन)

संयुक्त सचिव-सह-भू-सम्पदा पदाधिकारी

ज्ञापक:- भवन/भू-सम्पदा-01-आवास(राजपत्रित)-01/2026-5671 M पटना, दिनांक:-18/8/26

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, भवन निर्माण विभाग के आप्त सचिव/राचिव के आप्त सचिव,
भवन निर्माण विभाग/श्री कालिका सिंह (I.R.S.), आयकर महानिदेशक(अन्वे0), बिहार एवं झारखण्ड,
कार्यालय आयकर महानिदेशक(अन्वे0), तृतीय तल, केन्द्रीय राजस्व भवन, वीरचंद पटेल मार्ग,
पटना-800001/मुख्य अभियंता(पटना)/कार्यपालक अभियंता, पाटलिपुत्र भवन प्रमण्डल/
कार्यपालक अभियंता, कर प्रमण्डल/विद्युत कार्य प्रमण्डल सं0-1 एवं 03/कार्यपालक अभियंता,
नई राजधानी प्रमण्डल (पेसू)/आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


संयुक्त सचिव-राह-भू-सम्पदा पदाधिकारी।

क्र.सं.	विवरण	प्रमाणित	अवधि	मार्ग
1	भवन निर्माण विभाग	आयकर महानिदेशक(अन्वे0)	पटना	वीरचंद पटेल मार्ग
2	कार्यपालक अभियंता	पाटलिपुत्र भवन प्रमण्डल	पटना	वीरचंद पटेल मार्ग
3	कार्यपालक अभियंता	कर प्रमण्डल	पटना	वीरचंद पटेल मार्ग
4	विद्युत कार्य प्रमण्डल	सं0-1 एवं 03	पटना	वीरचंद पटेल मार्ग
5	कार्यपालक अभियंता	नई राजधानी प्रमण्डल (पेसू)	पटना	वीरचंद पटेल मार्ग
6	आई0टी0 मैनेजर	भवन निर्माण विभाग	पटना	वीरचंद पटेल मार्ग